

न्यायालय : गोपेश गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद
जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक : 700839 / 16

संस्थापन दिनांक : 19.12.2016

म.प्र.राज्य द्वारा पुलिस थाना मालनपुर जिला भिण्ड
म.प्र.

— अभियोजन

बनाम

1—करु उर्फ हरिशचन्द्र पुत्र रंजीतसिंह कुशवाह उम्र
38 साल निवासी ग्राम नौनेरा थाना मालनपुर जिला
भिण्ड म.प्र.

— अभियुक्त

निर्णय

(आज दिनांक.....को घोषित)

1. उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध धारा 294, 327, 506 भाग दो भा.द.स. के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि दिनांक 01.11.16 को 21:00 बजे दिनेश तौमर के घर के पास हैंडपम्प ग्राम नौनेरा थाना मालनपुर जिला भिण्ड पर नरोत्तमसिंह तौमर अ0सा01 को लोकस्थान पर अश्लील शब्द उच्चारित कर क्षोभ कारित किया तथा नरोत्तमसिंह तौमर अ0सा01 से उद्दापन कारित करने के आशय से मारपीट कर स्वेच्छा उपहति कारित की तथा नरोत्तमसिंह तौमर अ0सा01 को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।
2. अभियोजन मामले संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 01.11.16 को समय रात्रि करीब 9 बजे नरोत्तमसिंह अ0सा01, दिनेश तौमर के हैंडपम्प पर खड़ा था उसी समय उसके गांव का आरोपी हरिशचन्द्र उर्फ करु शराब पीकर आया और उससे गाली देते हुए शराब पीने के लिए 500रुपये की मांग की जब नरोत्तम अ0सा01 ने गाली देने तथा पैसे देने से मना किया तो आरोपी ने वहीं पड़ा डण्डा उठाकर नरोत्तम अ0सा01 के सिर में मारा जो बांये हाथ के पंजे में लगा तथा मूंदी चोट आई। झगड़ा सुनकर मौके पर दिनेशसिंह तौमर आ गये जिन्होंने बीच बचाव

कराया फिर आरोपी हरिशचन्द्र नरोत्तम अ0सा01 को अश्लील गाली देते हुए बोला कि अगर वह उसके दरवाजे से निकला तो जान से खत्म कर देगा। तत्पश्चात फरियादी नरोत्तमसिंह अ0सा01 ने थाना मालनपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी-1 दर्ज कराई जिस पर आरोपी के विरुद्ध अप0क्र0 193/16 पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया और संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनना प्रतीत होने से अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

3. आरोपी ने आरोप पत्र अस्वीकार कर विचारण का दावा किया है। आरोपी की मुख्य प्रतिरक्षा है कि उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। बचाव में किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया है।
4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं कि :-
 1. क्या दिनांक 01.11.16 को 21:00 बजे दिनेश तौमर के घर के पास हैंडपम्प ग्राम नौनेरा थाना मालनपुर जिला भिण्ड पर नरोत्तमसिंह तौमर अ0सा01 को लोकस्थान पर अश्लील शब्द उच्चारित कर क्षोभ कारित किया ?
 2. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर नरोत्तमसिंह तौमर अ0सा01 से उद्दापन कारित करने के आशय से मारपीट कर स्वेच्छा उपहति कारित की ?
 3. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर नरोत्तमसिंह तौमर अ0सा01 को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

// विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 लगायत 03 का संकारण निष्कर्ष //

5. नरोत्तमसिंह अ0सा01 ने कथन किया है कि दिनांक 26.04.17 से 6 माह पूर्व 21 बजे हैंडपम्प पर आरोपी से मुंहवाद हो गया था इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। पुलिस को घटना की एफ.आई.आर. प्र0पी-1 की थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने मौके पर आकर नक्शामौका प्र0पी-2 बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि दिनांक 01.11.16 को आरोपी ने शराब के लिए पैसे मांगे और इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपी ने उसके बांये हाथ के पंजे में डण्डा मारा और जान से मारने की धमकी दी और मां-बहन की गालियां दीं और इस आशय के तथ्य उल्लिखित होने पर भी ध्यान आकर्षित कराये जाने पर कथन अंतर्गत धारा 161 दफ़्तर प्र0पी-3 में भी दिए जाने से इंकार किया है। इस साक्षी ने स्वतः कथन किया है कि आरोपी से केवल मुंहवाद हुआ था और वह दादागीरी करता था इसलिए रिपोर्ट की थी।
6. अतः स्वयं फरियादी व आहत नरोत्तम अ0सा01 ने आरोपी द्वारा उद्दापन कारित करने अथवा उपहति कारित करने और अभियोजित घटना में अश्लील गालियां देने या जान से मारने की धमकी दिए जाने के तथ्य से इंकार किया है। नरोत्तम अ0सा01 घटना का महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष साक्षी है और फरियादी भी है परन्तु उसके द्वारा न्यायालयीन साक्ष्य में अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया गया है और आक्षेपित घटना से इंकार किया गया है। अतः उक्त महत्वपूर्ण

साक्षी द्वारा ही अभियोजन मामले का समर्थन न किए जाने के परिणामस्वरूप अभियोजन का मामला सिद्ध नहीं होता है और यह सिद्ध नहीं होता है कि आरोपी ने दिनांक 01.11.16 को 21:00 बजे दिनेश तौमर के घर के पास हैंडपम्प ग्राम नौनेरा थाना मालनपुर जिला भिण्ड पर नरोत्तमसिंह तौमर अ0सा01 को लोकस्थान पर अश्लील शब्द उच्चारित कर क्षोभ कारित किया तथा नरोत्तमसिंह तौमर अ0सा01 से उद्दापन कारित करने के आशय से मारपीट कर स्वेच्छा उपहति कारित की तथा नरोत्तमसिंह तौमर अ0सा01 को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

7. परिणामतः आरोपी को धारा 294, 327, 506 भाग दो भा.द.स. के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।
8. आरोपी के जमानत व मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

दिनांक :-

सही / -

(गोपेश गर्ग)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)